न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 17, गाजियाबाद।

सत्र परीक्षण संख्या 1109/2016

सरकार बनाम हेम सिंह

धारा 302 भा०दं०सं०

थाना लोनी बोर्डर, जिला गाजियाबाद

दिनांक–03.08.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त हेम सिंह जेल से हाजिर आया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) उपस्थित। पेशी के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वरा कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद 1109/2016 व प्रस्तुत वाद के साथ संलग्न 1110/2016 दोनों वाद पृथक–पृथक हैं, किन्तू सहवन दोनों वादों की पत्रावलियां एक साथ होने की दशा में दोनों वादों को समेकित समझा जा रहा है। अतः दोनों पत्रावलियों को पृथक किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का परीशीलन किया।

पत्रावली के परीशीलन से विदित होता है कि पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1109/2016, सरकार बनाम हेम सिंह, धारा 302 भा०दं०सं०, थाना लोनी बोर्डर, जिला गाजियाबाद तथा पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1110/2016, सरकार बनाम हेम सिंह आदि, धारा 302 भा०दं०सं०, थाना लोनी बोर्डर, जिला गाजियाबाद इस न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश से दिनांक 14.02.2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 3, गाजियाबाद से इस न्यायालय को प्राप्त हुयी हैं।

पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1110/2016 के अवलोकन से विदित हुआ कि उक्त वाद का विचारण अभियुक्तगण हेम सिंह, संजय गुर्जर व सुभाष जाटव के विरूद्ध किया जा रहा है तथा इसी पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1109/2016 में मात्र अभियुक्त हेम सिंह का ही विचारण किया जा रहा है। दोनों वादों की घटना पृथक–पृथक है, किन्तू सहवन उक्त वाद की पत्रावलियां एक साथ संलग्न हैं। प्रस्तुत पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1109/2016 में अभियुक्तगण संजय गुर्जर व सुभाष जाटव द्वारा वास्ते अभियुक्तगण को तिहाड़ जेल से जिला कारागार गाजियाबाद स्थानांतरण किये जाने हेतू प्रस्तुत किया गया था तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दोनों वाद एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण समेकित किये जाने का कथन किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गयी। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा वाद संख्या 1109/2016 में अभियुक्तगण सुभाष जाटव व संजय गुर्जर की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर नियमानुसार आदेश पारित कर अग्रिम कार्यवाही की गयी तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण के हस्ताक्षर पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1109/2016 के साथ संलग्न वाद संख्या 1110/2016 के स्थान पर वाद संख्या 1109/2016 में ही कराये गये हैं। उक्त त्रुटि पत्रावली पर सहवन पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1109/2016 व सत्र परीक्षण संख्या 1110/2016 को समेकित होना मानते हुए एवं प्रार्थनापत्र पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1109/2016 में ही प्रस्तुत करने व उपरोक्त दोनों वादों में अभियुक्त हेम सिंह का नाम उभयनिष्ठ होने के कारण कारित हुयी है।

अतः इस स्थिति में में लिपिक को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त दोनों पत्रावली पृथक-पृथक पेश की जायें तथा पृथक-पृथक तिथि नियत की जाये। इस आदेश की एक प्रति पत्रावली सत्र

परीक्षण संख्या 1110/2016 में भी संलग्न की जाये। पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1110/2016 से संबंधित प्रपत्र पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1109/2016 से पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 1110/2016 में संलग्न की जाये। पत्रावली नियत तिथि को पेश हो।

प्रस्तुत वाद आज साक्ष्य हेतू नियत है। अभियोजन की तरफ से आज भी कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही साक्षी के संबंध में जारी आदेशिकएं न्यायालय को वापस प्राप्त हुयी हैं। प्रस्तुत वाद के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद सन 2016 से संबंधित है, जो कि प्राचीन वादों की श्रेणी में आता है, जिसका शीघ्र निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना अति आवश्यक है। प्रस्तुत वाद अण्डर ट्रायल से भी संबंधित है। प्रस्तुत वाद के शीघ्र निस्तारण हेतू माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांकित 02.09.2022 के द्वारा भी निर्देशित किया गया है। प्रस्तुत वाद के शीघ्र निस्तारण में कोई भी विलम्ब कारित किया जाना माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अवहेलना होगा, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है एवं किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली के परीशीलन से विदित होता है कि पत्रावली में अभी तक अभियोजन की तरफ से 09 साक्षी परीक्षित कराये जा चुके हैं। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि अभियोजन को प्रस्तुत मामले में अभी साक्ष्य प्रस्तुत करना है। अतः साक्ष्य का एक और अवसर प्रदान किया जाये एवं अभियोजन आगामी तिथि पर प्रत्येक दशा में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों एवं वाद की प्राचीन प्रकृति एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिशा–निर्देशों के आलोक में अभियोजन को न्यायहित में एक अवसर इस निर्देश के साथ प्रदान किया जाता है कि अभियोजन प्रस्तुत वाद में सकारात्मक प्रयास करते हुए प्रत्येक दशा में प्रत्येक तिथि पर साक्षी परीक्षित करना सुनिश्चित करे, जिसके संबंध में कोई चूक न हो, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का ससम्मान अनुपालन किया जाये। यदि अभियोजन आगामी तिथि पर साक्षी प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि अभियोजन प्रस्तुत वाद के निस्तारण को प्राथमिकता नहीं दे रहा है, जिसके संबंध में उनके उच्चाधिकारी को सूचित किया जायेगा। अभियोजन साक्षी कांस्टेबल 272 संत कुमार, कांस्टेबल 2260 अवधेश यादव व विवेचक रणवीर सिंह यादव वास्ते साक्ष्य दिनांक 11.08.2023 को पेश हो।

दिनांक 03.08.2023

सीमा सिंह
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 17, गाजियाबाद।